



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 22 अप्रैल, 2017 / 02 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-249/2000-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 20-3-2017 to 23-3-2017 in favour of Smt. Aparna Sharma, Additional District and Sessions Judge-II, Shimla, H.P.

Certified that Smt. Aparna Sharma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Aparna Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-180/87-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 06 days earned leave *w.e.f.* 20-2-2017 to 25-2-2017 with permission to prefix winter vacation fell on 27-1-2017 to 19-2-2017 and to suffix Sunday fell on 26-2-2017 in favour of Shri Rajan Gupta, District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P.

Certified that Shri Rajan Gupta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajan Gupta would have continued to hold the post of District and Sessions Judge (Forests), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 12th April, 2017

No. HHC/GAZ/14-378/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 24-4-2017 to 29-4-2017 with permission to prefix Sunday falling on 23-4-2017 and to suffix Sunday falling on 30-4-2017 in favour of Ms. Naina, Civil Judge-*cum*- JM, presently undergoing Induction Training in the Judicial Academy, Ghandal, P.O. Shakrah, Sub Tehsil Dhami, District Shimla, H.P.

Certified that Ms. Naina is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Naina would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JM, presently undergoing Induction Training in the Judicial Academy, Ghandal, P.O. Shakrah, Sub Tehsil Dhami, District Shimla, H.P. but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla the 13th April, 2017*

No. HHC/GAZ/14-291/2006.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave *w.e.f.* 17-4-2017 to 29-4-2017 with permission to prefix local holiday, gazetted holidays and Sunday falling on 13-4-2017 to 16-4-2017 and suffix Sunday falling on 30-4-2017 in favour of Shri Subhash Chander Bhaseen, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P.

Certified that Shri Subhash Chander Bhaseen is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla the 13th April, 2017*

No. HHC/GAZ/14-355/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 17-4-2017 to 22-4-2017 with permission to prefix gazetted holidays falling on 15-4-2017 and 16-4-2017 and to suffix Sunday falling on 23-4-2017 in favour of Shri Kuldeep Sharma, Civil Judge-cum-JMIC, Court No.2, Sundernagar, District Mandi, H.P.

Certified that Shri Kuldeep Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Kuldeep Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Court No.2, Sundernagar, District Mandi, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla the 13th April, 2017*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

declare Senior Civil Judge-cum-ACJM-1, Hamirpur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Subhash Chander Bhaseen, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nadaun, District Hamirpur, H.P. w.e.f. 17-4-2017 to 29-4-2017 with permission to prefix local holiday, gazetted holidays and Sunday falling on 13-4-2017 to 16-4-2017 and suffix Sunday falling on 30-4-2017 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

कार्मिक विभाग नियुक्ति-IV

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 अप्रैल, 2017

संख्या: का0(नियुक्ति-IV)-बी(7)-1 / 1998.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी0पी0 (नियुक्ति) तारीख 15-03-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11-05-1973 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 23 का संशोधन.—दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 जिन्हें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है, के रूल 23 के सब रूल (5) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) A member of the service shall be allowed the Special Allowance in addition to pay to which he/she is entitled under subrule (1) or sub-rule(2), as notified by the State Government from time to time".

3. अपैडिक्स-II का लोप.—उक्त नियमों से संलग्न अपैडिक्स-II का लोप किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
वी0 सी0 फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV) -B(7)-1/98 dated 19-04-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th April, 2017

No. Per (A-IV)-B (7)-1/1998,—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this department's Notification No.7-5/73-Dp-(Apptt.), Dated 15.3.1973 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary), dated 11.05.1973, namely.—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (First Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 23.—For the existing provision against sub- rule (5) of rule 23 of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, hereinafter referred to as the 'said rules', the following shall be substituted namely.—

“(5) A member of the service shall be allowed the Special Allowance in addition to pay to which he/she is entitled under subrule (1) or sub-rule (2), as notified by the State Government from time to time”.

3. Omission of Appendix-II.—Appendix -II appended to the said rules shall be omitted.

By order,
V.C. PHARKA,
Chief Secretary.

कार्मिक विभाग नियुक्ति-IV

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 अप्रैल, 2017

संख्या: का0(नि-4)-ए(3)-3/84-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी0पी0 (नियुक्ति) तारीख 15-03-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11-05-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज़, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूलज़, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11 का संशोधन.—दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज, 1973 के रूल 11 के सब रूल (3) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“A Government servant who is holding substantive/ officiating/contractual appointment in H.P. Government or in High Court of Himachal Pradesh or any Court Subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/ Corporations/ Banks substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognised University and has not attained the age of 45 (forty five) years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the Competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission”.

आदेश द्वारा,
वी०सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/84-IV dated 19-04-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

PERSONNEL DEPARTMENT Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th April, 2017

No.Per(A-IV)-A(3)-3/84-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department's Notification No. 7-5/73-DP(Apptt.) Dated 15-03-1973 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11-05-1973, namely.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule-11.—For the existing provisions against sub-rule (3) of rule 11 of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, the following shall be substituted, namely.—

"A Government servant who is holding substantive/ officiating/contractual appointment in

H.P. Government or in High Court of Himachal Pradesh or any Court Subordinate thereto and employees of the Public Sector Undertakings/ Corporations/ Banks substantially owned or controlled by the H.P. Government shall be eligible to appear in the examination if he/she possesses a Bachelor's degree of a recognised University and has not attained the age of 45 (forty five) years on the first day of January of the year in which the applications are invited by the Commission for the Competitive examination. Any person who is eligible under this sub-rule and wishes to appear in the examination shall submit his/her application in the prescribed form through his/her Head of Office to the Secretary, H.P. Public Service Commission".

By order,
V.C. PHARKA,
Chief Secretary.

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th April, 2017

No. TPT-E(2)-24/2005-II.—In compliance to the Hon'ble High Court Orders dated 27-12-2016 passed in CWP No. 1566/2016 titled as New Prem Bus Services and Others V/s State of H.P., the parties and HRTC were heard and after consideration of the objections and the reply of HRTC, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the Notification issued vide this department Notification No. Tpt-E(2)- 24/2005-I dated 10.03.2015 with immediate effect. The HRTC is allowed to operate JNNURM buses for next three months as per the permits already issued in public interest to avoid inconvenience to public. The HRTC is at liberty to obtain necessary permits for JNNURM buses from the competent authority under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988.

By order.
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st April, 2017

No. TPT-F (1)-3/2015-I.—In supersession of all the previous notifications issued from time to time in pursuance of the powers conferred under clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to withdraw the use of Red/Amber/Blue Light on the front top of the official vehicles of all dignitaries except of the following .—

1. Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh.
2. Judges of High Court of Himachal Pradesh.

By order,
Sanjay Gupta,
Principal Secretary (Transport).

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 19th April, 2017*

No. Home-(A)B(1)-23/2015.—In supersession to this department's notification No. Home(A)A(1)2/2004-II dated 26th June, 2006, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of State Finger Print Bureau from State Crime Investigation Department to Directorate of Forensic Science, Shimla Hills, Junga alongwith 7 posts of Police Personnel i.e Inspector-1, Sub-Inspector-1, ASI-1, Head Constable-2 and Constable-2.

2. The Finger Print Bureau will work under the control of Director, Forensic Science *w.e.f* the date of publication of this notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. The Director, FSL will act as ex-officio Director and Asstt. Director, FSL will act as ex-officio Asstt. Director of Finger Print Bureau/Division.

3. A vehicle will be provided from the existing fleet strength of Directorate of Forensic Science to facilitate the staff of the Bureau. Expenditure on procurement of Finger Print Powder will be incurred under "Material & Supply" HOA/SOE of Forensic Science Laboratory, HP.

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Home).

**In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110**

1. Santosh Kumar aged 50 years s/o Shri Babu Ram, r/o Village Bugdhar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.
2. Bimla Devi aged 40 years d/o Shri Bhataku Ram, r/o Village Surahan, P.O. & Tehsil Padhar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shri Santosh Kumar aged 50 years s/o Shri Babu Ram, r/o Village Bugdhar, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. and Bimla Devi aged 40 years d/o Shri Bhataku Ram, r/o Village Surahan, P.O. & Tehsil Padhar, District Mandi, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 30-11-2016 at Shree Sanatan Dharam Sabha Mandir Jogindernagar, District Mandi, HP as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-05-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-04-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैज,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

शीला देवी पत्नी श्री तेजस्वी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम, जन्म तिथि दर्ज किये जाने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है शीला देवी पत्नी श्री तेजस्वी राम, निवासी गांव शियाउगी, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि पुत्र पीयूष पुत्र श्री तेजस्वी राम, जन्म तिथि 11-12-2010 की जन्म सम्बन्धी प्रविष्टि ग्राम पंचायत धाउगी, उप-तहसील सैज के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं हुई है अब इसके पुत्र की प्रविष्टि ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में करवाना चाहती है इस बारे इसने एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 29-04-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री पवन लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पवन लाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी बांगरन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री अम्बीका की जन्म तिथि 12-02-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत फूलपुर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 12-02-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अम्बीका की जन्म तिथि ग्राम पंचायत फूलपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अम्बीका की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

भुरा खान पुत्र स्व0 रोशन दीन, निवासी जम्बुखाला (नारायणगढ़) तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भुरा खान पुत्र स्व0 रोशन दीन, निवासी जम्बुखाला (नारायणगढ़) तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सुलेमान की जन्म तिथि 15-04-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अजौली में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 15-04-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुलेमान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अजौली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि

उक्त सुलेमान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Tenzin Gyurme पुत्र श्री Pempa Tsering, निवासी H.No. 36, STS Tibetan CIS, भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Tenzin Gyurme पुत्र श्री Pempa Tsering, निवासी H.No. 36, STS Tibetan CIS, भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं Tenzin Gyurme की जन्म तिथि 11-9-1978 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Bhattanwali में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 11-9-1978 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Tenzin Gyurme की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Bhattanwali, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Tenzin Gyurme की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

जाहिद मोहम्मद पुत्र श्री फुल मो0, निवासी VPO & GP मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जाहिद मोहम्मद पुत्र श्री फुल मो0, निवासी VPO & GP मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र कमाल खान की जन्म तिथि 01-01-2000 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मिश्रवाला में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 01-01-2000 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कमाल खान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री कमाल खान की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री राजकुमार, निवासी वार्ड नं0 5 पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री राजकुमार, निवासी वार्ड नं0 5 पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री प्रतीक्षा की जन्म तिथि 11-05-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगर परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 11-05-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रतीक्षा की जन्म तिथि नगर परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त प्रतीक्षा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अरुण प्रभा पत्नी श्री चन्द्रशेखर, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
... वादी।

बनाम

आम जनता ... प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अरुण प्रभा पत्नी श्री चन्द्रशेखर, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जयन्त शर्मा की जन्म तिथि 2-1-1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत माजरा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 2-1-1990 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जयन्त शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जयन्त शर्मा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-03-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत जनाब चन्द्रमोहन चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम नेहोल सरोल, डा0 जयहर, उप—तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व० श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम नेहोल सरोल, डा० जयहर, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 07-02-1965 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत चमेंजी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 01-05-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 30-03-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

चन्द्रमोहन चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना

इशतहार मुस्त्री मुनादी जेर धारा-23 हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954

अवतार सिंह

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

समन मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अवतार सिंह पुत्र सोनी राम, वासी पोलिया वीत, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 22-9-2013 को गांव पोलिया वीत में हुई है जोकि पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई आपत्ति है तो वह अपना उजर असालतन या वकालतन इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 27-4-2017 तक अपना उजर पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर काबिले गौर न होगा और यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 10-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना।